>

Title: Need to provide ownership rights of land to people relocated due to Tilaiya dam of Damodar Valley Corporation

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): झारखण्ड राज्य में स्थित दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) का तिलैया डैम, जो 1953 में बनकर देश को समर्पित किया गया। इस डैम के निर्माण से 56 मौज़ा/गाँव के लोगों को अपने मूल जगहों से विस्थापन के बदले जिस जगह बसाया गया है उस स्थान का जमीन या घर का मालिकाना हक अभी तक नहीं मिल पाया है, इन 56 गावों में एक गाँव हडाही जो चौपारण प्रखण्ड में हुआ करता था, जो डैम बनने के कारण मुख्य डूब क्षेत्र में समाहित हो गया, विस्थापन के उपरांत गाँव के लोग 1953 में ही विस्थापित होकर हजारीबाग जिले के बरही प्रखण्ड के बरसोत पंचायत के श्रीनगर में रह रहे हैं। आज तक न तो दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) से अथवा राज्य स्तर से और न ही केंद्र स्तर से समस्या का समाधान निकाला गया। अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि जनहित को दृष्टिगत करते हुए दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के तिलैया डैम के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों को उन्हें बसाए गए स्थान का मालिकाना हक दिलाये जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाने का कार्य करें।